



अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, बड़ौदा यू.पी. बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय असितियों का प्रतिभूतिकरण और उन्नर्णठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरकारी अधीनियम 2002) (2002 का 54) एवं प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) संशोधित नियम 8(6) के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित ऋणियों को एक मार्ग नीलामी जारी की गई थी तथा बंधक सम्पत्तियों पर कब्जा भी लिया गया है। इस सूचना के द्वारा सार्वजनिक रूप से जनसामान्य व झणी / बंधककर्ता / जमानतकर्ता को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित मामलों में बकाया धनराशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित गई सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्नठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के निम्नलिखित विवरणाद्वारा बड़ौदा यू.पी. बैंक बस्ती के ऋण खाते में बन्धक रखी हुई सम्पत्तियों की नीलामी जाहां हैं जैसी है, जो कुछ भी हैं के आधार पर नीलामी हेतु प्राप्त टेंडरों में से सर्वाधिक राशि के टेंडरों के पद में की जायेगी।

जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रो) और गारंटीदाता (ओ) / बंधककर्ता (ओ) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफरी अधिनियम 2002 के अधीन निनामित किया अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निवाराएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इससे, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को दिनांक 16.03.2024 को या उससे पहले, बड़ौदा यू.पी. बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बस्ती में मुहरबन्द लिफाको में, निम्नलिखित नियम व शर्तों को पूरा करके अपने बोली व्यक्ति करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोली दिनांक 18.03.2024 को समय दोपहर 12:00 बजे खाली जाएगी। उधारकार्ता का धन्यान प्रतिभूति असितियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के सन्दर्भ में उत्तम अधिनियम की धारा 13 की उपवारा (8) के उपवर्चों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/ बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण/मालिक का नाम	मार्ग सूचना लिखि/ अधिवृत्ति प्रकार	वकाया धनराशि (रु०)	आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि
शाखा: बस्ती, सम्पर्क: 9453180647					
1.	ऋणी: मेसर्स कार केर्यर प्रो० श्री हमजा रजा पुत्र अब्दुल रजा उर्फ इदू, पता: मुलीजोत, कोतवाली रोड, पो.-बस्ती, जिला-बस्ती - 272001	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि/भवन/प्लॉट (साम्यिक बंधक) मालिक: श्री अब्दुल रजा उर्फ इदू पुत्र अखलाख अहमद, न्हॉटम सं. 3058, मकान सं. 175, क्षेत्रफल-48.127 वर्ग मी., रिठत ग्राम- वाका मुलालू, मुलालू तित, जोनी खास, तपा- हवेली परगाना-बस्ती पूरब, तहसील व जिला- बस्ती (उ.प्र.)	04.05.2023 15.07.2023 सांकेतिक कब्जा	रु. 19,43,191.18 दिनांक 01.05.2023 तक एवं + व्याज और अन्य खर्चे	33,66,000.00 3,36,600.00
2.	ऋणी: मेसर्स श्री महाकाल आयुर्वेदिक प्रो० अग्नीवेश श्रीवास्तव पुत्र गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव, पता: मडवा नगर, बडेवन, जिला-बस्ती - 272001 जमानतकर्ता/ बंधककर्ता: (i) श्रीमती सुशीला देवी पर्णी गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव, पता: मडवा नगर, बडेवन, पो.-बस्ती, जिला- बस्ती - 272001 (ii) श्रीमती कुशुमलता श्रीवास्तव पर्णी राजाराम, पता: ग्राम- कटरा, पो.- गांधी नगर, जिला- बस्ती - 272001	सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सों सहित भूमि व भवन मापित प्लॉट सं. 600 ख, क्षेत्रफल: 63.25 वर्ग मी., रिठत ग्राम- वाका मौजा मडवा नगर तपा- हवेली, परगाना- बस्ती पूर्व (भूख्य सड़क से 500 मी. दूर) जिला- बस्ती, मालिक: श्रीमती सुशीला देवी पर्णी गोविन्द श्रीवास्तव, पता: मडवा नगर, बडेवन, जिला- बस्ती (CERSAI - asset id:200034950302 व security interest id: 400035008946) चौहड़ी : उत्तर- अब्दुल रजाक का मकान/दुकान, दक्षिण- सड़क बस्ती से गोरखपुर, पूर्व-अखलाख अहमद की दुकान, परिवर्म- अब्दुल रजा का मकान	17.04.2023 15.07.2023 सांकेतिक कब्जा	रु. 7,96,654.00 दिनांक 06.04.2023 तक एवं + व्याज और अन्य खर्चे	18,34,000.00 1,83,400.00
शाखा: मालवीय रोड, सम्पर्क: 7571811430					

बिक्री के नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाके में अपनी बोली का माला करनी है। (लिफाके के ऊपर स्पष्ट और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए) 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में बोली में देयोग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डॉडी / बैंकर्स चेक के रूप में जामा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष असफल बोलीदाताओं की ईंमझी एक सपाताह के अन्दर बिना किसी व्याज के वापस कर दी जाएगी । 3. सफल बोलीदाता को नगद के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईंमझी को छोड़कर) का 15% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुस्ति के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी । 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई बाधत याते हो पूर्व बोली देवी बोली को स्वीकार, अस्वीकार दक्षिण- चौहड़ी : उत्तर- खड़ंजा रोड, दक्षिण-इशाक अली का मकान, पूर्व-शौकत का मकान, परिवर्म- धीपत का मकान

सरफरी अधिनियम 2002 के अधीन 30 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्षित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्तियों को वर्षित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसा उचित व्याज, प्रभारों एवं ब्याज के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।